हरियाणा में व्यावसायकि प्रतष्ठिानों में हुक्का परोसने पर पूरण रोक

चर्चा में क्यों?

- 25 सतिंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दानवीर करण की नगरी करनाल में नशा मुक्तअभियान के तहत राज्यस्तरीय साइक्लोथॉन के समापन समारोह पर राज्यभर में होटल, रेस्तरां, बार और वाणज्यिकि प्रतष्ठिानों में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर व्यापक प्रतबिंध लगाने की घोषणा की है।

प्रमुख बदुि

- हालांक,ि यह रोक ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल होने वाले परंपरागत हुक्के पर लागू नहीं होगी।
- मुख्यमंत्री ने साइक्लोथॉन के दौरान 25 दनिों तक अथक् प्रयास करने वाले पुलसिकर्मयिों के प्रतआिभार व्यक्त करते हुए घोषणा की कसिभी 250 प्रतभिागी कर्मयिों को डीजीपी हरयिाणा से क्लास-1 प्रशस्तप्रिमाण-पत्र मलिेगा।
- इसके अतरिक्ति उन्होंने इन समरपति पुलसिकर्मयिों के लयि पाँच दनि की छुट्टी की भी घोषणा की।
- साइकलि के चलन को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल परविहन को प्रोत्साहति करने के लयि मनोहर लाल ने यह भी घोषणा की कहिरियाणा शहरी वकिास प्राधकिरण और व्यक्तयिों को आवास सुवधािएँ प्रदान करने वाला कोई भी लाइसेंस प्राप्त बलि्डर संपत्तरिजसि्ट्री के साथ संपत्तकिे मालकि को एक साइकलि उपहार में देगा।
- ऐसे मामलों में, जहाँ लाभार्थी के पास पहले से ही साइकलि है, एचएसवीपी या बलि्डर साइकलि के बदले में 3 हज़ार रुपए देगा।
- वदिति है कमिुख्यमंत्री ने 1 सतिंबर, 2023 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खलिाफ साइक्लोथॉन को हरी झंडी दखिाई थी।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cfomplete-ban-on-serving-hookah-in-commercial-establishments-in-haryana